भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 28

20 जुलाई, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: तिलहनों और पाम ऑयल संबंधी राष्ट्रीय मिशन

***28 श्री भर्तृहरि महताब:**

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तिलहनों और पाम ऑयल संबंधी राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत निर्धारित की गई लक्षित तिथि की तुलना में हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अधिक उपज वाले गुणवत्तायुक्त बीजों की व्यापक उपलब्धता तथा इस क्षेत्र में किसानों एवं विस्तार अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए तिलहन केंद्रों के सृजन हेतु कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में विशेषकर महाराष्ट्र के लातूर, सतारा और सोलापुर जिलों में तिलहनों एवं पाम ऑयल का उत्पादन उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"तिलहनों और पाम ऑयल संबंधी राष्ट्रीय मिशन" से संबंधित लोक सभा में दिनांक 20 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न स. 28 के भाग (क) से (ग) के लिए उल्लिखित विवरण

(क) वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)-तिलहन के तहत निर्धारित उत्पादन लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धि नीचे दी गई है:

तिलहन का उत्पादन (लाख टन)					
2018-19		**2019-20**		**2020-21**	
लक्ष्य	उपलब्धि	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**
360.00	315.22	361.00	322.19	370.00	365.65 (तीसरा अग्रिम अनुमान)

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान एनएफएसएम-ऑयल पाम के तहत वर्ष-वार क्षेत्र विस्तार लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धि नीचे दी गई है।

ऑयल पाम के तहत क्षेत्र विस्तार (है.)					
2018-19		**2019-20**		**2020-21**	
लक्ष्य	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**
26157	11807	17780	13274	22815	14090

(ख) एनएफएसएम (तिलहन) के तहत, भारत सरकार ने उच्च उपज गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के दौरान 36 तिलहन बीज केंद्र स्थापित किए हैं। विभिन्न बीज हबों के अंतर्गत फसल और राज्य नीचे दिए गए हैं:

फसलें	**बीज केन्द्रों की संख्या**	**राज्य**
तोरिया और सरसों	8	असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल
सोयाबीन	6	छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक
मूंगफली	6	तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक
तिल	2	
सूरजमुखी	3	तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक
कुसुम	3	महाराष्ट्र, तेलंगाना
नाइजर	3	मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा
अरण्डी	3	गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना
अलसी का बीज	2	मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा
कुल	**36**	

एनएफएसएम के तहत - 30 किसानों के लिए 2 दिनों के प्रशिक्षण के लिए 24000/- रूपए की दर से और 20 विस्तार कार्मिकों के लिए 2 दिनों के प्रशिक्षण के लिए 36000/- रुपये की दर से राज्यों, आईसीएआर/एसएयू/केवीके के माध्यम से किसानों और विस्तार कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए तिलहन और ऑयल पाम सहायता प्रदान की जा रही है।

(ग): एनएफएसएम-तिलहन: भारत सरकार महाराष्ट्र में लातूर सतार और सोलापुर सहित भारत के सभी जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन) के माध्यम से तिलहन के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा दे रही है। अंतरफसलन और उच्च क्षमतावान जिलों के लिए विशेष कार्यक्रम के तहत लातूर और सतारा जिलों के लिए 6910 क्विंटल सोयाबीन बीज आवंटित किए गए हैं। सोलापुर जिले के लिए सोयाबीन की 40,000 मिनीकीट आवंटित किए गए है और सतारा जिले के लिए मूंगफली की 275 मिनीकीट आवंटित की गई हैं। इस योजना के तहत, ब्रीडर बीजों की खरीद, आधारी और प्रमाणित बीज का उत्पादन, प्रमाणित बीजों का वितरण और नवीनतम उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज मिनीकिट जैसे हस्तक्षेप किए जाते हैं। खरीफ 2021 के लिए, सभी प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्यों में वितरण के लिए उच्च उपज देने वाली किस्मों के कुल 9.25 लाख तिलहन मिनीकिट आवंटित किए गए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के माध्यम से किसानों को फ्रंट लाइन प्रदर्शन (एफएलडी) और क्लस्टर फ्रंट लाइन प्रदर्शन (सीएफएलडी) के माध्यम से प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी किया जा रहा है। इस योजना में एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम), मृदा सुधारक, पौध संरक्षण रसायन, सूक्ष्म सिंचाई और कृषि मशीनरी और उपकरणों की आपूर्ति जैसे आदान वितरण का भी प्रावधान है।

एनएफएसएम-ऑयल पाम: यह स्कीम भारत में 12 राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए 4 वर्ष के लिए रोपण सामग्री, रखरखाव और अंतर-फसलन लागत, सूक्ष्म सिंचाई, बोरवेल, पंपसेट, फार्म तालाब, बीज उद्यान की स्थापना, पूर्वोत्तर/पहाड़ी राज्यों में ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई तथा किसानों और विस्तार कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, प्रदर्शन और वितरण आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है । आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे 12 राज्यों में किसानों को एनएफएसएम-ऑयल पाम का लाभ मिल रहा है ।

*****